बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-२ ला अंक-२१ वा बुधवार १७ सितम्बर २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

उर्दू बोर्ड कि सरकार से आशा।

तीन पिंडियों का सपना साकार, बीड नगर रेलवे लाइन का आज उद्घाटन

बीड, १६ सितंबर २०२५ (प्रतिनिधि): मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर १७ सितंबर २०२५ को बीड-अहिल्यानगर रेल लाइन का उद्घाटन होने जा रहा है। यह रेल लाइन मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो तीन पीढ़ियों से चली आ रही रेल कनेक्टिविटी की मांग को पूरा करेगी। इसके साथ ही, मराठवाड़ा में व्यापक रूप से बोली, समझी और पढ़ी जाने वाली उर्दू भाषा के प्रति भी न्याय की मांग उठ रही है। देशभर में रेलवे स्टेशनों के नाम उर्दू में लिखे जाते हैं, और मराठवाड़ा में उर्दू भाषा का व्यापक प्रचलन है। यदि सरकार, हैदराबाद गॅझेट का उर्दू अनुवाद करती हैं तो स्टेशनों पर उर्दू में बोर्ड भी लगाए, तो यह भारतीय भाषा उर्दू के साथ सच्चा न्याय होगा। यह मांग क्षेत्र की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सम्मान देने का एक सकारात्मक कदम होगा।

रेल परियोजना का विवरण: अहमदनगर-बीड-पर्ली वैजनाथ नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना का यह खंड (अमलनेर (बी) से बीड तक ६७.७८ किलोमीटर) लगभग १,२८६ करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। कुल २६१.२५ किलोमीटर लंबी इस परियोजना का १३२.९२ किलोमीटर हिस्सा पहले ही चालू हो चुका है, और शेष भाग २०२५-२६ तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच ५०:५० लागत साझेदारी पर आधारित यह प्रोजेक्ट क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह रेल लाइन बीड, राजुरी, रायमोहा, विघनवाड़ी, जटंदर और अमलनेर (बी) जैसे स्टेशनों को जोड़ेगी, जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया जाएगा, जो मराठवाड़ा की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने का प्रतीक है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ७५वीं जयंती के अवसर पर भी विशेष महत्व रखता है।

उर्दू भाषा के साथ न्याय की मांग: मराठवाड़ा में उर्दू भाषा न केवल व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। देशभर में रेलवे स्टेशनों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ उर्दू में भी नाम लिखे जाते हैं। मराठवाड़ा में, जहां उर्दू भाषा का व्यापक उपयोग है, रेलवे स्टेशनों पर उर्दू में बोर्ड लगाना भाषाई समावेशिता और सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक होगा। सरकार पहले से ही शासकीय राजपत्र का उर्दू अनुवाद करती है, ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर उर्दू बोर्ड लगाना एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम होगा। यह न केवल उर्दू भाषी समुदाय की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय संविधान में उर्दू को २२ अनुसूचित भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता देने के भाव को भी मजबूत करेगा।

उद्घाटन कार्यक्रम की व्यवस्था: निजी वाहनों से बचें, प्रशासन की बस सेवा का उपयोग करें

उद्घाटन का मुख्य कार्यक्रम बीड शहर के धानोरा रोड स्थित रेलवे स्टेशन पर आयोजित होगा। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित विभिन्न दलों के पदाधिकारी, मान्यवर और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहेंगे। हालांकि, पिछले तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग क्षेत्र और खेतों में भारी कीचड़ हो गया है। निजी वाहनों के अटकने और असुविधा से बचने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अपील जारी की है। प्रशासन की ओर से निजी बसों की व्यवस्था की गई है, इसलिए नागरिकों को अपने निजी वाहनों को कार्यक्रम स्थल पर न ले जाने की सलाह दी गई है।

रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाला रास्ता संकरा होने से भीड़ बढ़ने पर पहुंचने में बाधा आ सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उप-क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। बीड शहर के बाहर से आने वाले नागरिकों के लिए छत्रपति संभाजी महाराज क्रिडांगण, जिला परिषद कार्यालय और चंपावती क्रिडांगण पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। वहां से मिनी बसों द्वारा सीधे कार्यक्रम स्थल तक ले जाया जाएगा। बीड शहर के निवासियों के लिए बार्शी नाका, नगर नाका, बशीरगंज, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, माळीवेस, बलभीम चौक और बालेपीर इन स्थानों पर पिक-अप पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों से यात्रियों को रेलवे स्टेशन ले जाकर वापस छोड़ा जाएगा।

यह रेल लाइन मराठवाड़ा के लिए समृद्धि का नया द्वार खोलेगी। साथ ही, रेलवे स्टेशनों पर उर्दू बोर्ड लगाने की मांग को पूरा करना उर्दू भाषा और मराठवाड़ा की सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान का प्रतीक होगा। प्रशासन की अपील है कि नागरिक निजी वाहनों का उपयोग टालें ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। यह उद्घाटन मराठवाड़ा के विकास और भाषाई समावेशिता की दिशा में एक नया अध्याय शुरू करेगा।

रेलवे के लिए जनता का सेवक बनकर किया लगातार प्रयास : सांसद बजरंग सोनवणे

क़ाज़ी अमान/बीड

बीड में रेलवे आनी ही चाहिए - यह घोषणा मैंने बचपन में सुनी थी। बीड जिले में रेलवे की मांग को लेकर अनेक आंदोलनों हुए, ३०० आंदोलनकारियों पर केस दर्ज हुए और कुछ को जेल भी जाना पड़ा। परियोजना मंजूरी के बाद पिछले १२ वर्षों में केवल ९९ किलोमीटर रेलमार्ग का काम पूरा हुआ था, लेकिन सांसद बनने के बाद मात्र १२ महीनों में ६७ किलोमीटर का काम पूरा किया और आगे वडवणी तक हाईस्पीड ट्रायल रन सफल हुआ। इस काम के लिए लगातार प्रयास जरूरी था और मैं जनता का सेवक बनकर यह काम कर रहा हूं। रेलवे का श्रेय लेना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आज बीड में रेलवे पहुंच रही है, यह पूरे जिले के लिए आनंद का क्षण है - ऐसा कहना सांसद बजरंग बप्पा सोनवणे का है।

बीड के शासकीय विश्रामगृह में

आयोजित पत्रकार परिषद में वे बोल रहे थे। इस मौके पर राष्ट्रवादी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, पिंटू ठोंबरे उपस्थित थे। सांसद सोनवणे ने आगे कहा कि आज से बीड में रेलवे शुरू हो रही है। इसके लिए अनेक लोगों ने योगदान दिया है। बीड में रेलवे लाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। स्वतंत्रता सेनानी और रेल कृती समिति के सभी सदस्यों के निरंतर संघर्ष को सफलता मिली। सांसद बनने के समय रेलवे अंमलनेर तक पहुंच चुकी थी। शपथ ग्रहण के बाद पहला प्राधान्य रेलवे को दिया। पहली बैठक भी रेलवे विभाग की ली। परियोजना के सामने आने वाली अड़चनों और उनके समाधान की जानकारी ली। संसदीय दल की नेता सांसद सुप्रिया सुले के मार्गदर्शन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीशकुमार से लगातार संपर्क कर अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार का भी सहयोग मिला। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा और उनके विभाग से लगातार बैठकें कीं। ठेकेदार कौन है यह देखे बिना काम की गति पर ध्यान दिया, जिससे काम तेज हुआ। जहां समस्या आई, वहां स्वयं जाकर नागरिकों से चर्चा कर रास्ता निकाला। तत्कालीन जिलाधिकारी दीपा मुंधोल, अविनाश पाठक और वर्तमान जिलाधिकारी विवेक जॉनसन, रेलवे विभाग के आर.के. यादव, लोळगे और उनकी पूरी टीम ने अच्छा काम किया। रेलवे की मंजूरी के समय मैं आंदोलन में नहीं था, परंतु सांसद के तौर पर रुके हुए कामों को गति देने में सफल रहा। इसी प्रयास से १२ महीनों में वडवणी तक काम पूरा हो सका। बीड जिले को रेलवे की सौगात देना मेरे लिए केवल एक कार्य नहीं बल्कि जीवनभर याद रहने वाला आनंद का क्षण है - सांसद सोनवणे ने कहा।

महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ का इस्तीफा,नई नियुक्ति तक देखेंगे कार्यभार

मुंबई (जमीर काजी) - महाराष्ट्र सरकार का पक्ष उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में रखने वाले महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सहयोगियों को इस बारे में जानकारी दी।

सराफ ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। हालांकि, मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए जीआर पर मराठा और ओबीसी समाज में खुला संघर्ष शुरू हुआ है और इस जीआर के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर है। ऐसे समय में सराफ के इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है।

पिछले लगभग तीन वर्षों से सराफ पर महाराष्ट्र सरकार का उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखना और सरकार को कानूनी सलाह देने की मुख्य जिम्मेदारी थी। इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस के अनुरोध पर उन्होंने नई व्यवस्था होने तक कार्यभार संभालने की सहमति दी है। इसके अनुसार, सराफ जनवरी महीने तक काम देखेंगे। मराठा समाज के मुंबई में हैदराबाद गजट लागू करने के फैसले में भी सराफ ने अहम भूमिका निभाई थी।

कौन हैं वीरेंद्र सराफ?

सराफ को दिसंबर २०२२ में महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। उससे पहले उन्होंने २५ वर्षों तक मुंबई उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की थी। उन्होंने मुंबई के शासकीय विधि महाविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी और स्नातक के तीनों वर्षों में मुंबई विश्वविद्यालय में अव्वल स्थान प्राप्त किया था।

करियर की शुरुआत उन्होंने कनिष्ठ वकील के रूप में तत्कालीन न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के चेंबर में की थी। वर्ष २०२० में उन्हें वरिष्ठ वकील के रूप में मान्यता मिली। सराफ ६ वर्षों तक बॉम्बे बार एसोसिएशन के सचिव और उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद दिसंबर २०२२ में उन्हें महाराष्ट्र राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया।

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर का विश्लेषण

वक्फ एक्ट २०२५ पर सुप्रीम कोर्ट के १५ सितंबर २०२५ के अंतरिम आदेश का प्रभावी हिस्सा पैराग्राफ २०९ में लिखा गया है। इसके अनुसार, सभी परिस्थितियों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगा कि पूरे कानून के लागू होने पर रोक लगाने का कोई आधार मौजूद है। इसलिए, पूरे विवादास्पद एक्ट के कार्यान्वयन को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि, ऐसा करते हुए, पक्षकारों के हितों की रक्षा और न्याय की मांगों को संतुलित रखने के लिए, जब तक ये मामले सुनवाई के अधीन हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट २०२५ की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। वक्फ एक्ट २०१३ की धारा ९ के अनुसार, केंद्रीय वक्फ परिषद में १४ सदस्य होते थे, जिसमें केवल अध्यक्ष ही ऐसा हो सकता था जो मुस्लिम न हो, क्योंकि संबंधित मंत्री ही परिषद का अध्यक्ष होता है। २०२४ के संशोधित एक्ट के अनुसार, सदस्यों की संख्या बढ़ाकर २३ कर दी गई, और इसमें से दो सदस्यों के लिए नकारात्मक बाध्यता है कि वे मुस्लिम नहीं होंगे, बल्कि यह संभावना रखी गई है कि ग्यारह अन्य सदस्य भी मुस्लिम न हों। अर्थात, तेरह सदस्यों तक के लिए मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, पूरी परिषद में बहुमत गैर-मुस्लिम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के १५ सितंबर २०२५ के आदेश के अनुसार, संशोधित वक्फ एक्ट की धारा ९ के तहत गठित केंद्रीय वक्फ परिषद में २२ सदस्यों में से ४ से अधिक गैर-मुस्लिम शामिल नहीं होंगे। जबकि २०२४ के एक्ट के तहत जोड़े गए तेईसवें सदस्य के बारे में कोर्ट ने अपने आदेश में चुप्पी साधी है। इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के अनुसार, धारा १४ के तहत गठित प्रांतीय वक्फ बोर्डों में ११ सदस्यों में से ३ से अधिक गैर-मुस्लिम शामिल नहीं होंगे। इस सिलसिले में वक्फ के हितैषियों का संघर्ष जारी रहना चाहिए। दरअसल, वक्फ एक्ट २०२४ के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और प्रांतीय वक्फ बोर्डों के कम से कम दो व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे मुस्लिम न हों, इस धारा को खारिज कर देना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में ऐसे कानून मौजूद हैं, जो कहते हैं कि हिंदू धर्म की संपत्तियों के मामलों का प्रबंधन करने वालों का हिंदू धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह, वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन केवल मुस्लिमों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट में यही जोर दिया जाए कि २०१३ के वक्फ कानून की उस धारा को बरकरार रखा जाए, जिसके तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और प्रांतीय वक्फ बोर्डों के सभी सदस्यों का मुस्लिम होना अनिवार्य है। यह भी आवश्यक है कि २०१३ के वक्फ कानून में निर्धारित 'चुनाव' को राज्य सरकार द्वारा 'नामांकन' से बदला न जाए। यहां यह भी याद रखना चाहिए कि धार्मिक मामलों में ऐसी अनुचित हस्तक्षेप की कानूनी निषेध हमारे प्रिय देश में १६० वर्षों से अधिक समय से स्थापित है, क्योंकि १८६३ के धार्मिक वक्फ एक्ट की धारा ८ में लिख दिया गया था कि 'समिति के सदस्यों को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जो उस धर्म के अनुयायी हों, जिसके उद्देश्य के लिए मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक संस्था स्थापित की गई थी या जिसे अब तक बनाए रखा गया है।' वर्तमान दौर में भी, जिस तरह हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों के धार्मिक मामलों में किसी अन्य धार्मिक समुदाय या सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, उसी तरह वक्फ के प्रबंधन में भी ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि संशोधित वक्फ एक्ट की धारा ३३ की उप-धारा (२) के तहत शर्त (झी-ींळी) बशर्ते कि जब तक नामित अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न करे, ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, और धारा ३३ की उप-धाराएं (३) यदि नामित अधिकारी यह तय करता है कि संपत्ति सरकारी है, तो वह राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करेगा और इस बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, और (४) राज्य सरकार नामित अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, बोर्ड को रिकॉर्ड में उचित संशोधन करने का निर्देश देगी निलंबित (डींरूशव) रहेंगी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जब तक वक्फ संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित मामला, जैसा कि धारा ३३ के तहत है, धारा ८३ के तहत गठित ट्रिब्यूनल में अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता और हाई कोर्ट के आगे के आदेशों के तहत, न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड या वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में कोई संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा, जब धारा ३३ के तहत जांच शुरू हो जाए, तो ट्रिब्यूनल के तहत धारा ८३ में अंतिम फैसले तक, और हाई कोर्ट की अपील में आगे के आदेशों के तहत, ऐसी संपत्तियों के सिलसिले में किसी तीसरे पक्ष के अधिकार (ढहळीव-रिींू ीळसहींी) नहीं बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि वह संशोधित वक्फ एक्ट की धारा २३ को निलंबित करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है, फिर भी उसने निर्देश दिया है कि यथासंभव प्रयास किया जाए कि बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जो पदेन सचिव भी हैं) का नियुक्ति मुस्लिम समुदाय से ही की जाए। वक्फ के हितैषियों को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए कि २०१३ के वक्फ एक्ट की उस धारा को बरकरार रखा जाए, जिसके तहत प्रांतीय वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद के सचिव का मुस्लिम होना अनिवार्य है। वक्फ एक्ट २०१३ की धारा (ी)३ में वक्फ की बहुत व्यापक परिभाषा दी गई है, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को स्थायी रूप से समर्पित करना, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या दानकारी माना गया हो। २०२४ के संशोधित एक्ट के माध्यम से 'किसी व्यक्ति' शब्द को हटाकर इसका विकल्प लाया गया है 'कोई भी व्यक्ति जो कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो।' यह प्रस्ताव मूलभूत नैतिकता और शिष्टाचार के खिलाफ है और भारतीय संविधान की भावना पर प्रहार करता है। इस मापदंड पर चलते हुए तो देश के किसी भी कानून में, जहां कहीं किसी भी धर्म के अनुयायी का उल्लेख हो, उस कानून का लागू होना तभी माना जाएगा जब वह व्यक्ति उस धर्म का कम से कम पांच वर्षों से पालन और अभ्यास कर रहा हो। देश के प्रत्येक नागरिक का मूलभूत संवैधानिक कर्तव्य है कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक और सांप्रदायिक विविधता से ऊपर उठकर सामंजस्य और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संशोधित वक्फ एक्ट की धारा ३ की शर्त (ी) का हिस्सा कोई भी व्यक्ति जो यह दर्शाए या सिद्ध करे कि वह कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है तब तक निलंबित (डींरूशव) रहेगा, जब तक राज्य सरकार ऐसे नियम न बना ले, जिनके तहत यह तय करने का तरीका निर्धारित हो कि कोई व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं। मुस्लिमों को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए कि २०२४ की इस धारा को पूरी तरह खारिज करके २०१३ के वक्फ कानून में दी गई वक्फ की परिभाषा को बरकरार रखा जाए। अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि इस आदेश में दर्ज टिप्पणियां केवल कोर्ट के प्रारंभिक (झीळार षरलळश) विचार-विमर्श पर निर्भर हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि विवादास्पद एक्ट या इसकी धाराओं पर अस्थायी रोक लगाई जाए या नहीं। ये टिप्पणियां पक्षकारों को यह रोकने से नहीं रोकेंगी कि वे संशोधित वक्फ एक्ट या इसकी किसी भी धारा की संवैधानिक स्थिति और औचित्य पर अपने तर्क प्रस्तुत कर सकें। इसलिए, यह आवश्यक है कि केंद्रीय वक्फ परिषद के पूर्व सदस्यों, प्रांतीय वक्फ बोर्डों, म्यूटवली और वक्फ के सभी हितैषियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मूल पाठ और इसके प्रभाव से संबंधित जन जागरूकता पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वक्फ एक्ट २०२४ की जिन धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, उन पर भी वक्फ के हितैषी उत्साहपूर्वक अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते रहें।

डॉ. सैयद जफर महमूद, दिल्ली.

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

बीड में बारिश से तबाही: अजित पवार की अध्यक्षता में राहत कार्यों पर समीक्षा बैठक

बीड, १६ सितंबर २०२५ (प्रतिनिधि): आज बीड जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपमुख्यमंत्री और बीड जिले के पालकमंत्री श्री अजितदादा पवार साहब की उपस्थिति में प्राकृतिक आपदा निवारण और प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिले में बाढ़ और फसलों की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया गया।

बैठक में चर्चित प्रमुख बिंदु:

बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया:

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पुल, सड़कें, बस्तियों की सड़कें और तालाबों को भारी नुकसान हुआ है।

बिजली की तारें, खंभे, ट्रांसफार्मर और किसानों के सौर पंपों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

किसानों की प्याज की चालें और पशुओं का चारा पानी में बह गया है। कुछ स्थानों पर दूध देने वाले पशु भी बाढ़ में बह गए हैं। प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

खास तौर पर कडा शहर में छोटे-बड़े व्यापारियों की दुकानों में पानी घुसने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

बड़े पैमाने पर पाझर तालाबों और गांव के तालाबों के सांडवे टूटने से खेतों की जमीन नष्ट हुई है। कुछ स्थानों पर कोल्हापुरी बांध दोनों ओर से टूट गए हैं, जिससे पानी नदी के किनारों से बाहर निकल गया है। इसकी तत्काल मरम्मत और बहते पानी को संग्रहित करने के लिए उपायों की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से प्रभावित भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर २.५ लाख रुपये की सहायता निर्धारित की थी, लेकिन अब यह केवल ४५ से ५० हजार रुपये है। इसमें वृद्धि की आवश्यकता है।

खेतों में कुछ स्थानों पर अभी भी पानी जमा होने के कारण अगले आठ दिनों में नुकसान के पंचनामे पूरे करने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया जाना चाहिए।

ई-फसल सर्वेक्षण की अवधि २० सितंबर से बढ़ाकर ३० सितंबर की जानी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री के निर्देश:

माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श के बाद सभी नुकसानों के पंचनामे तैयार करने और प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

बैठक में उपस्थिति:

इस अवसर पर जिले के सभी जनप्रतिनिधि, जिला कलेक्टर श्री विवेक जी जॉनसन साहब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जितिनजी रहमान साहब, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत कावत साहब, और सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

गेवराई का दौरा:

अजित पवार ने आज गेवराई तहसील के बारिश से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। इस दौरान उनके साथ विधायक पंडित और अन्य अधिकारी मौजूद थे। यह बैठक और दौरा बीड जिले में बारिश से हुए नुकसान से निपटने और प्रभावितों की बहाली के लिए त्वरित कदमों का प्रतिबिंब है।

कपिलधार में भूस्खलन का खतरा, ग्रामवासियों को कोई नुकसान न हो इसके लिए उपाययोजना करें - विधायक संदीप क्षीरसागर

जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से की गई मांग

बीड, दिनांक १६ (प्रतिनिधि) - बीड तालुका के कपिलधार में भूस्खलन का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति में ग्रामवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग विधायक संदीप क्षीरसागर ने की है।

बीड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मौजे कपिलधार ग्राम पंचायत पाली आती है। यह गांव पहाड़ की गोद में बसा हुआ है और इसके पास ही कपिलधार तीर्थक्षेत्र स्थित है। यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते रहते हैं। लेकिन इस स्थान पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और सुरक्षा दीवार व पुल भी ढह गए हैं। इस संबंध में विधायक संदीप क्षीरसागर ने कई बार शासन को पत्र लिखकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की थी। १३ सितंबर से शुरू हुई अतिवृष्टि के कारण सुरक्षा दीवार भी टूट गई है और आवाजाही के लिए बना मुख्य मार्ग भी धंसता जा रहा है। ऐसे में जनहानि टालने और कपिलधारवाड़ी ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार का खतरा न हो, इसके लिए हर स्तर पर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में संभावित खतरे को रोकने के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव पेश किया जाए और जो नुकसान अभी हो चुका है उसकी तुरंत मरम्मत करने के आदेश दिए जाएं - ऐसी मांग विधायक संदीप क्षीरसागर ने बीड के जिलाधिकारी को दिए पत्र में की है।

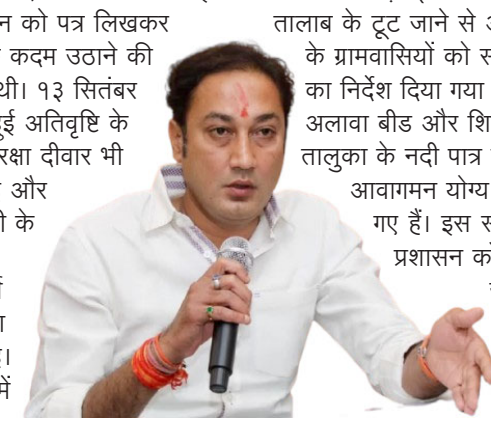

बीड, शिरूर (का), वासनवाड़ी में तुरंत उपाययोजना करने के निर्देश

वासनवाड़ी (ता. बीड) के गांव तालाब के टूट जाने से आसपास के ग्रामवासियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बीड और शिरूर (का) तालुका के नदी पात्र पर बने आवागमन योग्य पुल बह गए हैं। इस संदर्भ में प्रशासन को तत्काल उपाययोजना करने के निर्देश दिए गए हैं।

बीड के रेलमार्ग का इतिहास- स्व.केशरकाकू के प्रयासों को सलाम

अहमदनगर-बीड-परली नया रेलमार्ग देश के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण आधारभूत विकास परियोजना है, जो मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र को जोड़ती है। इस रेलमार्ग की कुल लंबाई २६१.२५ किलोमीटर है। अहमदनगर से बीड तक का काम लगभग पूरा हो चुका है, केवल विद्युतीकरण बाकी है। जल्द ही नगर से बीड तक रेलमार्ग शुरू होगा और मराठवाड़ा के यात्रियों की यात्रा आसान और सुखद होगी।

इस रेलवे के लिए किसने, किस दौर में और क्या प्रयास किए - यह नई पीढ़ी को जानना जरूरी है। खासकर स्व. सांसद केशरकाकू क्षीरसागर के अथक प्रयासों को सलाम करना चाहिए। स्व. काकू के लगातार प्रयास और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर की वह महत्वपूर्ण मांग, जिसमें आधा खर्च राज्य सरकार उठाए - यह तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख ने मंजूर किया और आज तक जारी रखा। इसी कारण यह रेलवे आज पूर्ण होने के करीब है।

इस रेलवे की मांग और प्रयासों में स्व. गोपीनाथराव मुंडे, नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर, वरिष्ठ संपादक स्व. नामदेवराव क्षीरसागर, स्वातंत्र्य सेनानी स्व. बंसीधरराव जाधव, स्व. हिरालाल सारडा, स्व. मदनलाल सारडा, उद्योगपति सत्यनारायण लाहोटी, गो.गो. मिसाळ, अतहर बाबर, नेत्या उषा दराडे, सुशीला मोराळे, स्व. अमोल गलधर, गिरीश देशपांडे, डॉ. अरुण भस्मे, पत्रकार गुलाब भावसार, नटवरलाल बुद्धदेव, नामदेव चव्हाण , अहमद बिन अबुद चाउस और कई अन्य का योगदान रहा है।

स्व. केशरकाकू के प्रयास

साल १९९५ में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव से स्व. काकू ने मुलाकात कर अहमदनगर-बीड-परली रेलमार्ग को तकनीकी मंजूरी दिलाई। उस समय इस २६१ किमी रेलमार्ग की अनुमानित लागत केवल ३५३ करोड़ रुपये थी, जो आगे बढ़कर ४४५० करोड़ हो गई। केंद्र से एकमुश्त इतनी बड़ी राशि संभव न होने के कारण, जयदत्त क्षीरसागर ने राज्य-केंद्र साझेदारी का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने इसे मंजूरी दी और इस रेलवे को गति मिली।

स्व. काकू ने बीड के विकास के लिए दो प्रमुख मुद्दे उठाए - रेलवे और दूरदर्शन केंद्र। इसके लिए उन्होंने बीड जिले के प्रतिनिधिमंडल के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति ग्यानी जैलसिंह और डॉ. शंकर दयाल शर्मा से मुलाकात कर मांग रखी। १९८० में काकू ने तत्कालीन रेलमंत्री गनी खान चौधरी, जाफर शरीफ और माधवराव शिंदे से भी बीड रेल की मांग रखी।

शुरुआती सर्वेक्षण सौताडा मार्ग से हुआ, लेकिन इसे आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी बताकर खारिज किया गया। तब काकू ने अंमलनेर मार्ग से सर्वे की मांग रखी। इंदिरा गांधी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन १९८४ में उनकी हत्या हो गई। इसके बाद १९८५ में राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो काकू ने निरंतर रेल की मांग पर जोर दिया और नगर-बीड-परली रेलमार्ग का सर्वेक्षण शुरू हुआ।

१९८९-९० में कांग्रेस की हार हुई, जिससे मांग पर असर पड़ा। १९९१ में फिर चुनाव हुए। प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। उस समय काकू लोकसभा से निर्वाचित हुईं। नरसिंहराव प्रधानमंत्री बने और सुरेश कलमाडी रेलमंत्री। काकू ने जोरदार प्रयास कर रेलमार्ग को मंजूरी दिलाई। तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने रेलवे बजट में बीड के लिए निधि घोषित की और काम शुरू हुआ।

काकू खुद कहती थीं -

मैं १९८० से सांसद हूं और बीड जिले की जनता से रेलवे का वादा करती आ रही हूं। स्व. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मुझे आश्वासन दिया था, पर वे अब नहीं रहे। इसलिए नरसिंहराव से मैंने विनती की और उन्होंने इस रेलमार्ग को मंजूरी दी।

बाद में चंपावती मैदान पर रेलमंत्री सुरेश कलमाडी के हाथों भूमिपूजन हुआ।

१९९९-२००४ के बीच जयदत्त क्षीरसागर राज्य सरकार में मंत्री बने। तब मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख थे। केंद्र से पर्याप्त निधि न मिलने पर जयदत्त क्षीरसागर ने राज्य का ५०% हिस्सा देने की मांग की, जो मंजूर हुई और आज भी जारी है। इसी से काम रुक-रुक कर भी आगे बढ़ता रहा।

२० साल लंबा संघर्ष

स्व. केशरकाकू ने अहमदनगर-बीड-परली रेलमार्ग के लिए लगभग २० वर्षों तक संघर्ष किया। इस दौरान मंजूरी, सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण, बजट में निधि, राज्य का ५०% हिस्सा, और काम को गति दिलाना - ये सभी चरण उन्होंने देखे। हर सरकार में रेलमंत्रियों से मुलाकात कर फंड बढ़ाने की कोशिश की। सुरेश कलमाडी, लालू प्रसाद यादव, जाफर शरीफ, सुरेश प्रभु जैसे नेताओं से वे बार-बार मिलती थीं।

आज नगर-बीड रेलप्रवास शुरू हो रहा है, तो इसमें स्व. केशरकाकू और अन्य सभी योगदानकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है।

इस ऐतिहासिक रेलवे मार्ग के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया - उन सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद।

* प्रशांत सुलाखे, बीड

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com